से

अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955

ब०उ० मामन बनाम राज0 सरकार

मुकदमा संख्या 432 /2024 रजू दिनांक 18.09.2024

निर्णय दिनांक 18.03.2025

पृष्ठ संख्या –1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, खैरथल–तिजारा राज०

पीठासीन अधिकारी :–रेखा यादव आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
432/2024	18.09.2024	18.03.2025

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (खैरथल–तिजारा) राज०

अनुवान

1-मामन पुत्र जौहरी जाति बावरिया निवासी नांगल सालिया तहसील हरसौली जिला खैरथल तिजारा –: वादी

बनाम

2-राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब हरसौली तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा राज0
–:प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

श्री रणवीर यादव :–वादी अधिवक्ता

वादी का प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है :–

वादी द्वारा इस न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह है कि आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 451/0.6449, 482/0.1770, 483/0.3667, 484/0.3288 हैक्टयर वाके गाम जौनाल मुताबिक नकल जमाबंदी हाल खाता संख्या 357 है। उक्त विवादित आराजीयात मे मिन वादी का 1/2 भाग है जिस पर मिन वादी ही काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व रिकोर्डस मे वादी के नाम का अमल दरामद हो रहा है। विवादित आराजीयात मे मिन वादी के 1/2 भाग पर कभी भी

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल–तिजारा) राज०

हरदान आदि, हरिशचन्द्र, लाली पुत्री सम्पत बावरिया साकिन नांगल सालिया काबिज काश्तकार नही रहे और ना अब है । वो गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आराजीयात है। उक्त अंकन को नाम के व्यक्तियों का कई वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। बकाश्त का अंकन विरासत नहीं खुलता है उनके मरने के बाद उनके वारिसानों को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं होते है। मिन यादी गामीण परिवेश का भोला भाला व्यक्ति हूँ, मिन वादी को कानूनी जानकारी नहीं है, मुझ वादी को रूपयों की सख्त आवश्यकता होने के कारण दिनांक 11/9/24 को ग्रामीण बैंक बासनी तहसील मुण्डावर गया तब शाखा प्रबंधक ने बताया कि पहले बकाश्त के अंकन को राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी से हटवाकर लाओं तब बैंक आपको किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण देगा। परन्तु विवादित आराजीयात मे मिन बादी के 1/2 भाग के राजस्व रिकोर्ड मे बकाश्त हरदान आदि मजकूर हरिशचन्द गैर खसरा नम्बर 451. 482 लाली पुत्री सम्पत बावरिया सा. देह साल 13 शिकमी खसरा नम्बर 484 भगवानी उमर, पुत्रीया सम्पत बावरिया सा० देह साल 8 शिकमी खसरा नम्बर 483 का अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून हो रहा है। प्रतिवादी से दिनांक 11/9/24 को बकाश्त के अंकन को दुरूस्त करने बाबत कहा कि तो उन्होने सक्षम अदालत में दावा दायर कर आदेश लाने पर ही उक्त गलत इन्द्राज दुरुस्त करने को वादी से कहा। इसलिये वादी विवादित आराजीयात मे अपने 1/2 भाग के राजस्व रिकोर्ड में से अ. विव–बकाश्त हरदान आदि मजकूर हरिशचन्द गैर खसरा नम्बर 451, 482, लाली, पुत्री सम्पत बावरिया सा० देह साल 13 शिकमी खसरा नम्बर 484 भगवानी पुत्रीया सम्पत बावरिया सा. देह साल 8 शिकमी खसरा नम्बर 483 का अंकन खिलाफ मीका व खिलाफ कानून हो रहा है उसे कलमजन करवाने का अधिकारी है। जिसके लिये ही वादी द्वारा यह दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज अदालत श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिम आया है। विवादित आराजीयात मे वादी के हक हकूक कानूनन रक्षित है। इसलिये वादी को अपने हकूको की रक्षार्थ यह वादपत्र पेश करना लाजिम आया है। विवादित आराजी काश्त व पक्षकारान हदूद अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार के निवासी है अतः दावा समाअत अदालत श्रीमान के श्रवण योग्य है।

यह है कि वादपत्र हेतु बिनायदवामी व बिनायमुखासमत दिनांक 11/9/24 को पैदा हुई है। वादपत्र अन्दर अवधि पेश है। वैसी भी इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज के वाद में कानूनन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। प्रतिवादी को वादपत्र में पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उसे 80 जा० दी० के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु विवादित आराजीयात राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी के 1/2 हिस्से में अ0वि0वि बकाश्त हरदान आदि मजकूर हरिशचन्द गैर खसरा नम्बर 451. 482. लाली, पुत्री सम्पत बावरिया सा० देह साल 13 शिकमी खसरा नम्बर 484 भगवानी पुत्रिया सम्पत बावरिया सा. देह साल 8 शिकमी खसरा नम्बर 483 को अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून हो रहा है जिस कारण मिन वादी सरकारी योजनाओं का लाभ व लोन आदि का लाभ नहीं उठा पा रहा है।

अतः डिकी इजराय इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज पारित की जाकर आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 451/0.6449, 482/0.1770, 483/0.3667, 484/0.3288 हैक्टेयर वाके गाम जौनाल तहसील हरसौली जिला खैरथल तिजारा राज० मे वादी के 1/2 भाग के राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में जो अ.वि.वि बकाश्त हरदान आदि मजकूर हरिशचन्द गैर खसरा नम्बर 451, 482, लाली, पुत्री सम्पत बावरिया सा० देह साल 13 शिकमी खसरा नम्बर 484 भगवानी पुत्रीया सम्पत बावरिया सा. देह साल 8 शिकमी खसरा नम्बर 483 का अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर सिर्फ भामन पुत्र श्री जौहरी हिस्सा 1/2 जाति बावरिया सा. नागलसॉलिया खातेदार का अंकन हो रहा है उसे ही बदस्तूर रखा जाये।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज०

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी ने अपने जवाब में वादी के वाद पर कोई एतराज जाहिर नही किया एंव अकित किया की इस प्रकरण में राजस्थान सरकार का कोई हित निहित नही है। वादी ने अपने पक्ष में स्वंय पीडब्लू 1 महेन्द्र कुमार पीडब्लू 2 एंव रविन्द्र सिंह पीडब्लू 3 के साक्ष्य करायें उक्त गवाहान ने वाद पत्र के तथ्यो का समर्थन किया है। वाद वादी बाबत वकील वादी की बहस अन्तिम सुनी गई बहस में वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यो को साबित किया है।

हमने पत्रावली का गहन अध्ययन किया एंव विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया वाद वादी डिकी किया जाना यह न्यायालय न्यायोचित पाता है।

निर्णय

अतः उक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी को डिकी किया जाता है। आराजी हाल खसरा नम्बरान 451/0.6449, 482/0.1770, 483/0.3667, 484/0.3288 हैक्टेयर वाके गाम जौनाल तहसील हरसौली जिला खैरथल तिजारा राज० मे वादी के 1/2 भाग के राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में जो अ.वि.वि. बकाश्त हरदान आदि मजकूर हरिशचन्द गैर खसरा नम्बर 451, 482, लाली, पुत्री सम्पत बावरिया सा० देह साल 13 शिकमी खसरा नम्बर 484 भगवानी पुत्रीया सम्पत बावरिया सा. देह साल 8 शिकमी खसरा नम्बर 483 के अंकन कलमजन किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी के हक हिस्से में मामन पुत्र श्री जौहरी हिस्सा 1/2 जाति बावरिया सा. नागलसॉलिया खातेदार का अंकन किया जावे शेष सह खातेदारान का अकन यथावत रखा जावें। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

आज दिनांक 18.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी करने के बाद खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रेखा यादव)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम,खैरथल तिजारा राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, खैरथल–तिजारा राज०

पीठासीन अधिकारी :–रेखा यादव आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
432/2024	18.09.2024	18.03.2025

अनुवान

1-मामन पुत्र जौहरी जाति बावरिया निवासी नांगल सालिया तहसील हरसौली जिला खैरथल तिजारा
–: वादी

बनाम

2-राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब हरसौली तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा राज0
–:प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

श्री रणवीर यादव :–वादी अधिवक्ता

–:पर्चा डिकीः–

वाद वादी को डिकी किया जाता हैं। आराजी हाल खसरा नम्बरान 451/0.6449, 482/0.1770. 483/0.3667, 484/0.3288 हैक्टेयर वाके गाम जौनाल तहसील हरसौली जिला खैरथल तिजारा राज० मे वादी के 1/2 भाग के राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में जो अ.वि.वि. बकाश्त हरदान आदि मजकूर हरिशचन्द गैर खसरा नम्बर 451, 482, लाली, पुत्री सम्पत बावरिया सा० देह साल 13 शिकमी खसरा नम्बर 484 भगवानो पुत्रीया सम्पत बावरिया सा. देह साल 8 शिकमी खसरा नम्बर 483 के अंकन कलमजन किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी के हक हिस्से में मामन पुत्र श्री जौहरी हिस्सा 1/2 जाति बावरिया सा नागलसॉलिया खातेदार का अंकन किया जावे शेष सह खातेदारान का अंकन यथावत रखा जावे।

आज दिनांक 18.03.2025 को यह पर्चा डिकी मेरे द्वारा लिखवायी जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

(रेखा यादव)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम,खैरथल तिजारा राज०